૨૭/૭/૫૫

પત્રા. ભાઈશ્રી વજુભાઈ. આપ વાળી નીચેના (લખેલ)
પાના ઝવેરભાઈ [illegible] મળ્યા ગ્રંથ.
ભાઈ પ્રભાતને લખ્યા નામે ઉતારાવ્યા
પાછાં મેળવવાની છે। પત્ર. મોકલ્યા મુંબઈ
વાંચવા મોકલાવી [illegible]

डिकरी व मुकदमें इब्तदाई
(आर्डर 20 रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix"D"-1)
अज अदालत सहायक कलक्टर नदबई
व इजलास श्री गंगाधर मीना ,आर.ए.एस

मु0 उनवान तेजसिंह बनाम राज0 सरकार

मुकदमा नंबर 131/2016 दावा बाबत् 88,89,188 रा0का0 अधिनियम

यह मुदकमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू ......– व हाजरी वादी मिनजानिब मुद्दढ व .... मिनजानिब मुद्दालय पेश होकर , हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि

विवादित आराजी खसरा नंबर 867 रकबा 0.14 हैक्टेयर पर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड इन्द्राजात कलमजन किए जाते हैं तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

बैज – मुबलिग – – – – – – बावत – – – – – – – – – खर्चा इस मुकदमें के मयसुद व शरह ————————फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख व सूलयाबी तक ———————— की अदा करें ।

ह दसब्त व मुहर अदालत के आज तारीख 27.5.24 को जारी की गई ।

मुहर

दस्तखत—— 27/5/24
सहायक कलक्टर
नदबई जिला भरतपुर

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दालय	रूपया	पैसा
स्टाम्प अराजी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमीश्नर			बवत इजराय हुक्मनामा		
बावत इजराय हुक्म नामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मीजान			मीजान		

1. तेजसिंह पुत्र ढुलढुल जाति जाट निवासी बीलौठ तह. नदबई जिला भरतपुर।

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार नदबई।

प्रतिवादीगण

27/5/24

सहायक कलक्टर
नदबई जिला भरतपुर

न्यायालय सहायक कलक्टर नदबई (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी श्री गंगाधर मीना R.A.S.)

प्रकरण सं. 131/2016
जी.सी.एम.एस. नम्बर 2016/00177
किस्म दावा 88,89,188 आर.टी.ए.
निर्णय दिनांक 27.05.2024

1. तेजसिंह पुत्र ढुलढुल जाति जाट निवासी बीलौठ तह. नदबई जिला भरतपुर।

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार नदबई।

प्रतिवादीगण

उपस्थित श्री अशोक कुमार एड.(वादी की ओर से)

निर्णय दावा अंतर्गत धारा 88, 89, 188आर.टी.ए.

1. यह कि वादी एंव प्रतिवादीगण वाद के लिए पूर्ण सक्षम व्यक्ति है कोई भी सख्त नाबालिग नही है।
2. यह कि आराजी खसरा नंबर 867 रकवा 0.14 है. वाके ग्राम बीलोठ तहसील नदबई का बंदोबस्त संवत 2028 से पूर्व खसरा न. 625 व बन्दोबस्त संवत 2060 से पूर्व 656 था जो हाल में 867 बना है।
3. यह कि वादी की खातेदारी व कब्जेकाश्त की आराजी है जिस पर वादी राजथान टीनेन्सी एक्ट लागू होने के पूर्व से ही काबिज काश्त चला आ रहा है एवं आज तक काबिज है तथा राज्य सरकार का लगान करता चला आ रहा है। वादी की आराजी पर हक हकूक खातेदारी प्राप्त है मगर आराजी पर वादी को पटवार कागजात गैरखातेदार दर्ज किया हुआ है, जबकि वादी आराजी पर गत 50 वर्ष से अधिक समय से काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। वादी कृषि ऋण हेतु फाईल तैयार करने बाबत पटवार हल्का से आराजी के गलत इन्द्राज होने की गलत जानकारी प्राप्त हुई । वादी वर्तमान के इन्द्राजात की जानकारी

27/5/24

गैरखातेदारी होने बाबत प्राप्त हुई अतः वादी आराजी पर अपने हकूक खातेदारी घोषित करा पाने व वर्तमान इन्द्राजात कलमजन कराते हुये खातेदारी दर्ज करा पाने के अधिकारी हैं।

4. यह कि आराजी पर वादी गत 50 साल से अधिक समय से काबिज काश्त व राजस्व रिकॉर्ड में गैरखातेदार के रूप में दर्ज किया हुआ है। अतः वादी द्वारा प्रार्थना की गई कि विवादित आराजी खसरा न. 887 रकवा 0.14 है. वाके ग्राम बीलोठ तहसील नदबई पर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एवं वर्तमान इन्द्राजात कलमजन किया जावे।

5. यह कि वादी का वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 की ओर से पैरोकार सरकार तहसीलदार नदबई उपस्थित होकर अपना जबाब दावा पत्रावली पर अंकित किया गया। तथा अपने जबाब में अंकित किया कि संवत 2021 में तेजसिह बल्द ढुलढुल कौम जाट गैरखातेदार दर्ज रिकॉर्ड व वर्तमान जमाबंदी में भी गैरखातेदार खसरा न. 867 दर्ज रिकॉर्ड है वादी को रकवा आवंटन न होकर गैरमोरोसी कब्जा रिकॉर्ड अनुसार है।

6. वादी के वादपत्र एवं प्रतिवादी सं. 1 पैरोकार सरकार के जबाब दावा के अभिवचनों के आधार पर निम्नानंकित तनकीयात कायम की गई जो कि इस प्रकार हैं :–

   1. आया वादी दावा की विवादित आराजीयात पर राजस्थान टीनेन्सी एक्ट लागू होने से पूर्व काबिज काश्तकार गैरखाातेदार चला आ रहा है, मुताबिक कब्जा वादी अपने आपको गैरखातेदार से खातेदार दर्ज करा पाने का मुस्तक है।– जिम्मेवादी
   2. आया वादी प्रतिवादी को हुक्मइम्तनाईदवामी की डिक्री से पाबंद करा पाने के अधिकारी हैं – जिम्मेवादी
   3. आया प्रतिवादी खसरा न. 867 रकवा 0.14 है. रकवा आवंटित न होकर गैरमोरोसी कब्जा रिकॉर्ड अनुसार है – जिम्मेप्रतिवादी

7. वादी द्वारा अपने वादपत्र के समर्थन में दस्तावेजों के रूप में नकल जमाबंदी संवत 2071–74 वाके ग्राम बीलोठ, नकल जमाबंदी संवत

27/5/24

2063–66 वाके ग्राम बीलोठ, नकल मिलान क्षेत्रफल संवत 2028 व 2060 वाके ग्राम बीलोठ, नकल जमाबंदी संवत 2053–56 वाके ग्राम बीलोठ, नकल जमाबंदी संवत 2049–52 व 2032–35, 2021–24 वाके ग्राम बीलोठ एवं पेश किये गये।

हमने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजातों का अवलोकन किया तथा तनकीवार निर्णय निम्नानुसार है–

1. आया वादी दावा की विवादित आराजीयात पर राजस्थान टीनेन्सी एक्ट लागू होने से पूर्व काबिज काश्तकार गैरखातेदार चला आ रहा है, मुताबिक कब्जा वादी अपने आपको गैरखातेदार से खातेदार दर्ज करा पाने का मुस्तक है।– उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण का था। वादपत्र मे दर्ज विवादित आराजी खसरा नंबर 867 रकबा 0.14 हैक्टेयर वाके ग्राम बीलौठ तहसील नदबई पर स्थित हैं। उक्त खसरा नंबरान संवत 2028 से पूर्व खसरा नंबर 625 व बंदोबस्त संवत 2060 से पूर्व 656 था जो कि हाल खसरा नंबर 867 है जो कि वादी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबंदी हाल एवं नकल मिलान क्षेत्रफल संवत 2028 व 2060 से साबित है। वादी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबंदी संवत 2063 से 2066 में वादी तेजसिंह पुत्र ढुलढुल कौम जाट गैर खातेदार के रूप में खसरा नंबर 867 पर दर्ज रिकार्ड है। तथा नकल जमाबंदी संवत 2043–46 में खसरा नंबर 867 में वादी तेजसिंह पुत्र ढुलढुल कौम जाट गैर खातेदार का अंकन हो रहा है तथा नकल जमाबंदी संवत 2049–52 में भी वादी के नाम गैर खातेदारी का अंकन हो रहा है तथा नकल जमाबंदी संवत 2032–35 में भी वादी के नाम गैर खातेदारी के रूप में अंकित है। तथा नकल भूप्रबंध विभाग संवत 2028 में भी वादी तेजसिंह के नाम गैर खातेदारी के रूप में दर्ज चली आ रहा है तथा नकल जमाबंदी संवत 2021–24 में वादी के नाम गैर खातेदार के रूप में दर्ज रिकार्ड है। इस प्रकार संवत 2021 से आदिनांक तक वादी गैर खातेदार के रूप में दर्ज चला आ रहा है यानि वादी विवादित आराजीयात पर लगभग 50 वर्ष से पूर्व काबिज

27/5/24

काश्त करता हुआ चला आ रहा है। इस प्रकार वादी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व गैर खातेदार के रूप में काबिज काश्त चला आ रहा है तथा आराजी का राज्य सरकार का लगान वगैराह अदा करता हुआ चला आ रहा है। इस प्रकार वादी की लगातार गैर खातेदारी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व नियमित रूप से काबिज काश्त चली आ रही है। इस प्रकार वादी ऑपरेशन वाई लॉ वादी खातेदार घोषित माना जाता है। अतः वादी वर्तमान इन्द्राजातों को कलमजन करा पाने का अधिकारी एवं खातेदार दर्ज करा पाने के अधिकारी हैं। अतः उक्त तनकी वादी के हक में तय की जाती है।

2. आया वादी प्रतिवादी को हुक्मइम्तनाईदवामी की डिक्री से पाबंद करा पाने के अधिकारी हैं – उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण का था। वादी विवादित आराजीयात पर लगातार विगत कई वर्षों से गैर खातेदार के रूप में दर्ज चला आ रहा है तथा तनकी संख्या 1 के निर्णय से खातेदार दर्ज करा पाने का अधिकारी है तो वादी प्रतिवादी को हुक्मइम्तनाईदवामी की डिक्री से पाबंद करा पाने का अधिकारी है।

3. आया प्रतिवादी खसरा न. 867 रकवा 0.14 है. रकवा आवंटित न होकर गैरमोरोसी कब्जा रिकॉर्ड अनुसार है – उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण का था। प्रतिवादी द्वारा किसी भी प्रकार का दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य पेश नहीं किया गया अतः उक्त तनकी प्रतिवादी के खिलाफ तय की जाती है।

उपरोक्त तनकीवार निर्णय के विवेचन के आधार पर वादी लगातार गैर खातेदार के रूप में राजस्व रिकॉर्ड दर्ज चला आ रहा है तथा वादी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व से ही वादी की विवादित आराजी गैर खातेदार के रूप में दर्ज चली आ रही है तथा वादी को खातेदार घोषित किया जाता है तो धारा 42 बी का उल्लंघन नहीं होता है और न ही राज्यहित प्रभावित होता है लिहाजा वादी का वादपत्र काबिल डिक्री के है।

अतः आदेश है कि विवादित आराजी खसरा नंबर 867 रकबा 0.14 हैक्टेयर पर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड इन्द्राजात कलमजन किए जाते हैं तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 27.05.24 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

27/05/24

सहायक कलेक्टर नदबई